IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

Balwinder Kumar — Vs. State of Haryana etc.

O.A. Case No.446/2022

Reply on behalf of applicant namely Balwinder Kumar to the report dt. 01-07-2024 filed by the DDPO,Yamuna Nagar before this Hon'ble Tribunal

श्रीमान जी,

क0 स0	भूमि का विवरण	एकड	कनाल	मरले
1.	क्रमाक 5365 दिनांक 28.06. 2024 खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी द्वारा जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट क्रमांक सख्या 1 मे दर्शाया गया है कि 25 एकड भूमि मे पुराने खदान है। कितने पुराने है यह नही बताया। जबकि सच्चाई यह है कि इस भूमि पर पुराने खैर के पेड जिनकी 14-15 हजार सख्यां जोकि करीब 50 साल पुरान खैर के पेड थे। इसको अवैध खनन 2016 से लेकर 2023 तक लगातार अवैध खनन किया और इन खैर के पेडो को काट कर अवैध तरिके से बेच दिया गया। वर्तमान मे इस भूमि की गहराई 60-70 फुट है। इस भूमि का कुछ हिस्सा लगभग 7- 8 कनाल आज भी बिल्कुल फ्रैस है। जिसम करीब 40-50 साल पुराने खैर के पेड खडे है। जो जंगल के बीच मे है। इन लोगो ने बिना पैमाईश किये इस जमीन की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दी।	25	00	10
2.	क्रमांक सख्या 2 इस भूमि मे 50 साल पुराने खैर के पेड थे। जिनकी संख्या 40-45 हजार थी। जिनको काट करके अवैध खनन किया गया व कुछ हिस्से पर साल	82	1	17

बलविन्दर कुमार

	2022 मे आपके सम्मुख केस दायर होने के बाद इसमे कुछ प्लांटऐशन किया गया। यह जमीन भी साल 2016 के बाद 60 - 70 गहराई तक खननकारीयो द्वारा खोदी गई है।			
3.	क्रमांक सख्या 3 इस भूमि मे पुराने खदानो मे पेड बताये गये। जबकि जनाव कितने पुराने खदान है यह नही बताया गया और इसमे भी 50 साल पुराने खैर के पेड थे। जिनको अवैध रूप से काट कर अवैध खनन किया गया और जनाव इस भूमि मे किसी भी प्रकार से रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारीयो व पंचायत ने यह नही बताया कि यह भूड कलां पंचायत मे किस गांव की जमीन है। यह जमीन भी साल 2016 के बाद 60 - 70 गहराई तक खननकारीयो द्वारा खोदी गई है।	16	07	03
4.	क्रमांक सख्या 4 नाजायज कब्जा करके इस भूमि मे पुराने खैर के पेड काटे गये और इसमे भी 60-70 फुट गहराई तक अवैध खनन किया गया व साल 2016 मे अवैध खनन किया गया और करीब 1 फुट मिट्टी बिछा कर गन्ने व पोपलर की खेती गई। यह जमीन भी साल 2016 के बाद 60 - 70 गहराई तक खननकारीयो द्वारा खोदी गई है।	35	01	14
5.	क्रमांक सख्या 5 इस भूमि पर 50 साल पुराने खैर के पेड काट कर अवैध खनन किया गया और एक फुट मिट्टी बिछा कर गन्ना व पोपलर की खेती कर रहे है। नोटः- जबकि सुप्रीम कोर्ट के जय सिहं बनाम राज्य आदेश है कि पंचायती देह शामलात भूमि केन्द्र सरकार की भूमि पर कोई भी व्यक्ति नाजायज कब्जा नही कर सकता। यदि कोई है तो उस भूमि को कब्जा मुक्त करवाया जायें यह आदेश आपने भी साल 2022 मे स्पष्ट रूप से कहा है कि इस भूमि को कब्जा मुक्त करवाया जाये। परन्तु पंचायत	55	3	10

	अधिकारी व ग्राम पंचायत व राजनीतिक लोग इस भूमि को कब्जा मुक्त नही करवा रहे है। क्योकि आज भी इस भूमि के कुछ हिस्से बचे हुये है। जिन पर ये लोग प्रशासन व राजनीतिक लोगो से मिलकर अवैध खनन कर रहे है। यह जमीन भी साल 2016 के बाद 60 - 70 गहराई तक खननकारीयो द्वारा खोदी गई है।			

6.क. इस रिपोर्ट क अध्याय मे लिखा गया है कि 71 एकड भूमि का केस 23.08.2024 के लिए सुप्रीम कोर्ट मे विचाराधीन है। जबकि इस भूमि पर किसी प्रकार की स्टे नही मिली है। परन्तु इस भूमि को भी आज तक आपके आदेश के बावजूद भी राजनीतिक लोग, प्रशासन, पंचायत व संबंधित अधिकारी मिली भगत से कब्जा मुक्त नही करवा रहे है और ना इस इस दिशा मे कोई प्रयास किया जा रहा है।

ख. दिनांक 10 एकड 6 कनाल 6 मरले भूमि पर सरपंच पति अमित कुमार पुत्र सताब सिहं ग्रांम भूड माजरा के कब्जा मे है। जिसका केस अम्बाला मण्डल आयुक्त के पास विचाराधीन है परन्तु सरपंच का कब्जा होने के कारण इस केस की पैरवी नही की गई। जिस कारण दिनांक 05.03.2024 को ग्रांम पंचायत यह केस हार गई। परन्तु जो अपील दायर करने का समय 30 दिन होता है वह प्रशासन व राजनीतिक लोगो की मिलीभगत से निकाल दिया गया और कोइ अपील दायर ना की। यह जमीन पूरी तरह से सरंपच के पति द्वारा खैर के पेड काट कर अवैध खनन किया गया व इस जमीन को 80 फुट गहरा खोदा गया है व इस जमीन पर 1 फुट मिट्टी बिछा कर, अपील दायर होने के बाद साल 2022 मे गन्ने व पोपलर की खेती की गई। जबकि खनन की कोई अनुमति नही थी।

ग. 31 एकड 6 कनाल 16 मरले भूमि का केस सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी के पास दिनांक 17.07.2024 के लिए विचाराधीन है। उपरोक्त सभी केस मेरे द्वारा अपील दायर करने व आपके द्वारा आदेश दिये जाने के बाद राजनीति, प्रशासन व सरपंच भूडकलां की मिलीभगत से बचाव हेतू दायर किये गये।

घ. पैरा न.4 मे खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी द्वारा लिखा गया कि पिछले 2 सालो से इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध खनन नही हो रहा है जबकि इस भूमि पर आज भी अवैध खनन जारी है। इस रिपोर्ट मे एक्शन प्लान लगाया हुआ है जिसमे 84 एकड भूमि का प्लान तैयार किया गया। इस पर नम्बरदार संदीप कुमार व करपाल सिहं, अमित कुमार पुत्र सताब सिहं के भी हस्ताक्षर है। जोकि पहले ही अवैध

खनन मे शामिल है इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है। लेकिन कार्यवाही कोई नही है।

7. इस रिपोर्ट मे एक फर्जी ग्राम सभा साथ संलग्न है। जिसमे ना तो कोई तिथि लिखी गई है और ना ही ग्राम सचिव और ना ही सरंचत के हस्ताक्षर है और जो जेसीबी मशीन की फोटोग्राफी रिपोर्ट के साथ लगाई है वह जेसीबी मशीन भी इन्ही लोगो की है जो अवैध खनन मे साल 2016 से शामिल है और इनके खिलाफ मुकदमाजात भी दायर है।

8. पेज न.11 की रिपोर्ट पर दिखाया गया है कि पेड लगाने का प्रस्ताव पास किया गया। जबकि जनाब इन लोगो ने हमारी अपील दायर होने के बाद साल 2022 मे इस जमीन के कुछ हिस्से पर प्लाटऐशन किया गया।

9. प्रशासन व गठित कमैटी ने जो रिपोर्ट बनाई उसमे एक पार्क बनाने का यूटिलाईजेशन प्लान दिया गया। इसका बजट 1 करोड 30 लाख रूप्ये बताया गया। जबकि यह लोग कहते है यह बाड क्षेत्र है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह जमीन 80 फुट तक अवैध तरीके से खनन करीब 80 फुट तक किया गया है। जबकि जनाब इस जमीन के साथ लगती वन विभाग की जमीन है। इस जमीन के साथ गांव लगता है। इसके बावजूद जनाब बारसात के सिजन मे 3-4 महिने इस जमीन पर बरसात वगैरा का पानी खड रहता है। जोकि 5-7 फुट तक होता है। लेकिन जनाब यह इन लोगो का गठित कमैटी का प्लान सराहनीय है। लेकिन जनाब इस भूमि को कम से कम 15 फुट मिट्टी का भराव होना अति आवश्यक है। तब जाकर यह पार्क अच्छा बन सकता है।

10. जनाब इस जमीन मे कुछ अवैध खननकारी साल 2016 से लेकर आज तक अवैध खनन करते चले आ रहे है जिनको सरकार का पूरा सहयोग है व प्रसाशन व पंचायत के साथ मिलीभगत है और जनाब इन लोगो साल 2016 से लेकर आज तक इस जमीन को अवैध तौर पर खुदाई करके 2000 करोड से ज्यादा की सम्पति बना ली है। जोकि 22 लोग इस अवैध खनन मे शामिल है। जिनके आज 40 से ज्यादा स्टोन क्रैसर, स्क्रीनिंग प्लाट है। जोकि इसी क्षेत्र मे लगे हुये है व कुछ उतर प्रदेश मे कुछ उतराखण्ड मे इन लोगो ने इसी साल लगाये है । क्योकि इन लोगो को सरकार इत्यादी का पूरा सहयोग है। इन लोगो के द्वारा 2016 से अब तक खरीद कई गई प्रोपर्टी की सूची मैं प्रार्थी अपने निजि तौर पर तैयार कर रहा हूँ जोकि इन लोगो के द्वारा अवैध पैसे से खरीद की गई सम्पति की कुछ सूची मैने तैयार कर ली है और जो कुछ रहती है उसे पूरा करके मै आपके सम्मुख पेश कर दूगा।

11. यहकि नकल निशानदेही के लिए सवाल दिनांक 12.01.2006 गौस्वरा न.12758 केस न.19 निशानदेही जोकि ग्राम पंचायत के गांव कोहलीवाला मे हुई थी। इसका जवाब दिया गया कि न.1687 दिनांक 05.09.2022 को मुल रूप से नकल का सवाल वापिस कर लिखा जाता है पूर्व पृष्ठ प्रवांछित नकल का रिकार्ड दिनांक 31.12.2015 को जिला उपायुक्त के आदेशानुसार नष्ट किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी को

ट्रिंकू कुमार

निशानदेही की नकल नही दी जा सकती। जनाब साल 2006 मे पंचायत का गठन हुआ और पंचायत का गठन होने के बाद निर्वाचित संरपच ने पूरी पंचायती शामलात जमीन की पैमाईशी करवाई थी। इसमे स्पष्ट लिखा गया था कि पंचायत के पास कितनी जमीन बिल्कुल फ्रैस है व उसमे काफी पुराने खैर के बहुमूल्य पेड खडे है।

12. उपरोक्त अवैध खननकारी मुझ प्रार्थी को नाजायज तंग परेशान करते है और पुलिस प्रशासन से मुझे धमकीया वगैरा दिलवाते है। क्योकि मैं प्रार्थी इन लोगो के अवैध खनन कार्य के विरूद्ध हूँ। जोकि इसी रंजिस के चलते इन लोगो ने मुझ प्रार्थी के खिलाफ पुलिस से मिलीभगत करके झूठे मुकदमाजात दर्ज करवाये है।

13. यहकि कोर्ट के द्वारा गठित कमैटी ने जो रिपोर्ट पेश की है वह पूरी तरह से झूठी है और सरासर गलत व बेबुनियाद है क्योकि इस जमीन की ना तो कोई पैमाईश करवाई गई और ना ही कोई जियोफैसिंग करवाई गई और जनाब जिन लोगो का इस भूमि पर कब्जा दिखाया गया वह नगीना, घसीटा, लीला पुत्रान छज्जू, कशमीरा, बून्दी है जबकि इन लोगा का कोई कब्जा नही है। सिर्फ माल रिकार्ड मे कब्जा है। क्योकि 2016 मे पूर्व सरपचं सुभाष चंद पुत्र पाला राम माण्डेवाला ने गांव मे मुनादी करवा कर कह दिया था कि आप लोग यह केस हाई कोर्ट से हार चुके है और अब इसमे आप लोगो का किसी प्रकार का कोई दखल ना हो। जिन लोगो यानि नगीना, घसीटा, लीला पुत्रान छज्जू, कशमीरा, बून्दी का कब्जा दिखाया गया है उन लोगो का अवैध खनन से कोई ताल्लुक वास्ता किसी किस्म का ना है और ना ही कभी रहा है।

प्रार्थी

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, डा. भूडकलां, जिला यमुनानगर।
मोबाईल न.9129205779, 8930440087

दिनांक 09.07.2024